

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं० लि०।

पटना, दिनांक:- 22-07-2026

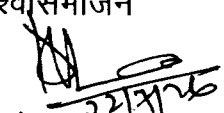
विषय:- सिवान जिले के दरौली के निकट NPCIL द्वारा प्रस्तावित Nuclear Power Plant(NPP) के लिए घाघरा नदी से 80 MCM जल उपलब्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 604 दिनांक 14.07.2026
महाशय,

सिवान जिले के दरौली के निकट NPCIL द्वारा प्रस्तावित Nuclear Power Plant(NPP) के लिए घाघरा नदी से 80 MCM जल उपलब्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षोपरांत विषयक कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. मानसून अवधि में घाघरा नदी से 80 MCM जल उपलब्ध कराया जा सकता है।
2. गैर-मानसून अवधि के दौरान जल उपलब्धता के लिए अधिशेष जल संग्रहण हेतु जलाशय का निर्माण किये जाने अथवा नदी से गैर-मानसून अवधि (Lean Peroid) में भी जल निकासी की अनुमति केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्र सरकार से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता होगी।
3. घाघरा नदी से जलापूर्ति संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से भी नियमानुसार आवश्यक अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदूषित जल को आवश्यक उपचार कर ही नदी में प्रवाहित करना होगा।
5. नदी से औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल कर/शुल्क इत्यादि अनुमान्य होगा।

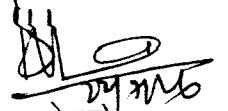
विश्वसभाजन


(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

झापांक:- मो0 2-सिवान 25/2026- 1519

/पटना, दिनांक: 22-07-2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान/भागलपुर को सूचनाथ
एव अनापात प्रमाण पत्र न जाकर रातों के जग्गालनार्थ प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

/पटना, दिनांक: 22-07-2026

झापांक:- मो0 2-सिवान 25/2026- 1519

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, IT Centre, WRD को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)